बिहार में औद्योगिक क्षेत्र की वर्त्तमान स्थिति:- चुनौतियाँ एवं संभावनाएं

ज्योतिष कुमार चंद्रवंशी

पी.-एच.डी. शोध छात्र, अर्थशास्त्र विभाग

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

ई-मेल - रलवजपीा077/हउंपसण्बवउ

सारांश

15 नवम्बर 2000 को बिहार के विभाजन के पश्चात् लगभग 96 प्रतिशत खनिज सम्पदा, 97 प्रतिशत भारी उद्योग, 65 प्रतिशत विद्युत उत्पादन एवं 63 प्रतिशत राजस्व झारखण्ड में चले जाने के फलस्वरूप शेष बिहार में केवल कृषि आधारित उद्योग ही बच गये हैं। विभाजन के बाद से सरकार लगातार औद्योगिक नीति एवं योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास करने का प्रयास कर रही है, परन्तु व्याप्त भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदा, पंूजी की कमी, आधारभूत संरचना का अभाव, विद्युत संकट एवं राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव आदि के कारण इसका यथोचित परिणाम नहीं मिल पाया है। देश के औद्योगिक विकास में बिहार का मात्र 1.22 प्रतिशत का योगदान है, जबकी राष्ट्रीय औसत 31.5 प्रतिशत का है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त कमियों को दूर कर औद्योगिक विकास को तीव्र करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में कानून व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार, पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए वैश्विक सम्मेलन, उद्योग आधारित संरचना के स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास तथा औद्योगिक स्थापना, पुनरोद्धार एवं प्रोत्साहन नीतियों का कार्यान्वयन आदि उल्लेखनीय है। वर्त्तमान में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लागू है। इसकी अवधि 2025 तक है। इसके लागू होने के बाद से निवेशक धीरे-धीरे बिहार को विनिर्माण एवं सेवा इकाईयों में निवेश के लिए संभावित गन्तव्य के रूप में पसन्द करने लगे हैं। किन्तु अभी भी तीव्र औद्योगिक विकास हेतु नये उद्योगों की स्थापना, वित्तीय सुविधा को बढाना, विपणन की उचित व्यवस्था एवं श्रमिकों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि जैसे कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बिहार में प्रचुर भूमिगत एवं सतही जल संसाधन, उर्वर मिट्टी, विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल एवं कच्चे माल आदि

की उपलब्धता के कारण औद्योगिक विकास की प्रबल संभावनायें विद्यमान है। द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित इस आलेख में बिहार के औद्योगिक क्षेत्र का अध्ययन, औद्योगिक नीतियों के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों का आंकलन तथा इनकी चुनौतियों को चिन्हित कर सुधार हेतु उपाय सुझाने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः- औद्योगिक विकास, खाद्य प्रसंस्करण, अधिसंरचना, उद्योग मित्र, बियाडा, नीति निर्माता।

प्रस्तावना

उद्योग शब्द का अभिप्राय किसी भी व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध कार्य से है। इसमें मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का संकलन किया जाता है। इस प्रक्रम में कच्चे पदार्थो के स्वरूप को बदल कर और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। उद्योग का अर्थ प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री की शारीरिक अथवा यांत्रिक शक्ति द्वारा किसी इच्छित रूप आकार तथा विशेष गुणधर्म वाली वस्तु में परिवर्तन करना है। किसी राज्य में औद्योगिक विकास इस राज्य में उपलब्ध स्थानीय संसाधन, अच्छा कच्ची सामग्री, शक्ति के साधन, यातायात के साधन, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, उन्नत प्रौद्योगिकी, उपलब्ध पूंजी एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं पर निर्भर करता है। स्वतंत्रता के समय बिहार राज्य देश का पाँचवा औद्योगिक राज्य था किन्तु राज्य में चीनी, सिमेन्ट, इस्पात, कागज एवं जूट उद्योग का पतन औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण बना। तत्पश्चात बिहार के विभाजन तो शेष बिहार को और भी पिछड़ा बना दिया। ऐतिहासिक रूप से बिहार ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण का शिकार रहा जिसके कारण यहॉ के संसाधनों का दोहन ब्रिटिश आर्थिक हितो के अनुरूप होता रहा। कमजोर कृषि क्षेत्र, क्रय शक्ति शून्य जनसंख्या एवं कमजोर आर्थिक सामाजिक विकास को संबल नहीं मिल सका। बाढ़ एवं सूखा के स्थायी एवं कारगर समाधान करने वाले उपायों के अभाव के कारण भी औद्योगिक विकास धीमा रहा क्योंकि प्रति वर्ष इन प्राकृतिक आपदाओं से भारी मात्रा में आधारित संरचना को होनेवाली क्षति के कारण निवेश का प्रतिफल मिलने का न्यूनतम संभावना बनी रहती है। करोंड़ों का राजस्व पुनर्वास एवं राहत कार्यो में ही व्यय हो जाता है। भौगोलिक कारणों में बिहार समुंद्र से दूर होने के कारण बन्दरगाहों से वंचित है। अतः राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से ठिक से नहीं जोड़ा जा सका। राज्य का

अधिकांश भाग मैदानी है जहाँ खनीज का अभाव है। साथ ही कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का भी सही से विकास नहीं हो सका है। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र पलायन एवं गरीबी को कम करने, साहसिक क्षमता का विकास, कलात्मक वस्तुओं का निर्माण, कृषि पर से जनसंख्या का बोझ कम करने, आर्थिक शोषण एवं आर्थिक विषमता को दूर करने, स्थानीय संसाधनों का टिकाऊ उपभोग तथा बेरोजगारी, अर्द्ध बेरोजगारी एवं छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

साहित्य समीक्षा

साजदा परवीन (2023) ने अपने आलेख "विभाजन के पश्चात् बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन की समस्या एवं उसका निदान" में विभाजन के पश्चात् बिहार में औद्योगिक क्षेत्रों के चुनौतियों को दर्शाया है एवं अनिमा अजेय (2018) ने अपने आलेख "बिहार की औद्योगिक निवेश संवर्द्धन नीति के आलोक में श्रमिकों की स्थिती" में बिहार के कृषि नीतियों के उद्देश्यों का अध्ययन किया हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों का अध्ययन
2. आर्थिक विकास में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान का अध्ययन
3. विभाजन के पश्चात् बिहार के औद्योगिक नीतियों का अध्ययन

परिकल्पना

1. औद्योगिक नीति लागू होने से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है ?
2. उद्योग विभाग द्वारा जारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है ?

अध्ययन क्षेत्र

बिहार का औद्योगिक क्षेत्र

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध आलेख द्वितीयक समंको पर आधारित है। यह समंक बिहार सरकार के उद्योग विभाग, समाचार पत्र एवं अन्य पुस्तकों तथा शोध आलेखों से संकलित किया गया है।

शोध की आवश्यकता एवं महत्व

इस अध्ययन से यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि औद्योगिक नीति का बिहार के उद्योग क्षेत्र पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही इसे किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है।

बिहार में उद्योगों की स्थिति

बिहार में उद्योग क्षेत्र का आकार मूलतः ऐतिहासिक कारणों से नहीं बढ़ा है। इसमें छोटे पैमाने का उत्पाद दिखता है, जो राज्य में आर्थिक विकास के लिए प्रचुर योगदान के लिहाज से अधिशेष पैदा करने में असमर्थ है। बिहार में द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर और सकल राज्य घरेलू अनुपात (जी0एस0डी0पी0) के बीच मजबूत संबंध नहीं है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार संख्या, अचल पूॅजी, रोजगार, निर्यात और सकल मूल्यवर्द्धन के लिहाज से बिहार के शीर्ष पाँच उद्योग खाद्य प्रसंस्करण, अन्य अलौह खनिज उत्पाद, वस्त्र निर्माण, धातु उत्पाद तथा रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद आदि है।

कृषि आधारित उद्योग

कृषि आधारित उद्योगों में खाद्य उत्पाद, पेय पदार्थ, तम्बाकू उत्पाद, चीनी, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी फर्नीचर और कागज उद्योग आदि शामिल है। इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग चीनी एवं गब्य (डेयरी) उद्योग है। दोनों के सशक्त अग्रवर्ती एवं पृष्टवर्ती सम्पर्क रहें है। इसलिए दोनों राज्य में काफी रोजगार उपलब्ध कराते है। बिहार के औद्योगिक विकास में इन दोनों उद्योगों का ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्य उत्पादों (चीनी और दूध) के अलावा दोनों उद्योगों से अनेक प्रकार के उप-उत्पाद भी बड़ी मात्रा में उत्पादित होते है, जैसे - इथेनाल और बिजली, चीनी मिलों के उत्पाद हैं। जिनके उपयोग अन्य उद्योगो के बतौर महत्वपूर्ण लागत

सामग्री में किया जाता है। इसके लिए बिहार में 11 चीनी मिले स्थापित है। इनमें से 2022-23 में 09 चीनी मिले चालू थी, जिसमें 431.1 क्विंटल की ईख पेरी गई और चीनी प्राप्ति की 9.6 प्रतिशत की दर से कुल 45.6 क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। दूध उद्योग भी अपने उप उत्पादों के लिए मशहुर है। जैसे - पनीर, दही, मिठाई आदि। अभी दूध की खरीद, उसके प्रसंस्करण और बिहार तथा झारखण्ड में दूध के वितरण के लिए 12 इकाईयॉ काम कर रही हैं। साथ ही कामफेड द्वारा इसके विकास हेतु कृत्रिम गर्भधान केन्द्र, टिकाकरण, कृमिनाशक, बीज और पशु आहार आदि का वितरण किया जा रहा है।

कृषितर उद्योग

बिहार में कृषितर उद्योग में हैण्डलूम एवं पावरलूम, खनिज उत्पाद, प्लास्टिक उद्योग, कॉच एवं इंजीनियरिंग उद्योग आदि शामिल है। इनमें से प्रमुख कृषितर उद्योग हैण्डलूम एवं पावरलूम है। बिहार के 38 जिलों में से 14 जिले में वस्त्रों - परिधानों के उत्पादन का काम होता है। उत्पादों में भागलपुर के रेशम से लेकर पश्चिम चम्पारण मे ंसाल, गमछा-तौलिया और बिस्तरों के खोल का उत्पादन शामिल है। इन उद्योगों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार उद्योग विभाग के माध्यम से बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) 2022 लागू की है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है।

लघु एवं कुटीर उद्योग

इसके अन्तर्गत चर्म उद्योग, लकड़ी उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग, लाख उद्योग, कत्था उद्योग, रेशम उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा 2006 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग विकास अधिनियम पारित किया गया। लघु उद्योगों को भी प्रायः दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। परम्परागत लघु उद्योग एवं आधुनिक लघु उद्योग। परम्परागत लघु उद्योगों के अन्तर्गत खादी हैण्डलूम, ग्रामीण उद्योग, हस्त कलायें आती हैं जबकी आधुनिक लघु उद्योगों में इलेक्ट्रानिक्स वस्तुएॅ जैसे- टी0वी0, रेडियो, लघु कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक्स नियंत्रण प्रणाली एवं इंजीनियरिंग वस्तुएॅ, जिनका बड़े उद्योगों में प्रयोग होता है आदि। इन दोनों प्रकार के उद्योगों में स्पष्ट रूप से अन्तर दिखाई देता है। जहॉ परम्परागत लघु उद्योग श्रम प्रधान

है और उनमें बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। वही आधुनिक लघु उद्योगों में अपेक्षाकृत कम श्रमिक काम पाते है परन्तु आधुनिक मशीनों की सहायता से उनमें अधिक कीमती उत्पादों का उत्पादन होता है।

बिहार में बड़े उद्योग

बिहार के विभाजन के बाद अधिकांश बड़े उद्योग क्षेत्र झारखण्ड राज्य में चले गये और बिहार के वर्त्तमान बड़े उद्योग बंद पड़े है। बिहार में कुल 28 चीनी मिले हैं जिसमें मात्र 11 चालू हालत में है। बिहार में अशोक पेपर मिल चालू नहीं किया जा सका है। वर्त्तमान बिहार में सिर्फ गिने-चुने भारी उद्योग बचे हैं, जिसमें बेगूसराय जिले के बरौनी में उर्वरक कारखाना, ताप विद्युत केन्द्र, कोको कोला कारखाना, रोहतास जिले के आमझोर में फास्फेट एवं केमिकल लि0, कैमूर के कर्मनाशा, रोहतास के बंजारी एवं औरंगाबाद में सिमेन्ट कारखाना, हाजीपुर, पटना एवं बरौनी में कॉच निर्माण संबंधी कारखाना, मुजफ्फरपुर में कांटी बिजली उत्पादन कारखाना एवं इंजीनियंरिंग उद्योग, मधेपुरा एवं सारण में रेल इंजन कारखाना, मोकामा में रेल डब्बा कारखाना, कटिहार में नेशनल जूट निर्माण कारखाना आदि प्रमुख है। हालांकि इनमें से अधिकत्तर बड़े उद्योग कारखाने वित्तीय अभाव एवं तकनिकी पिछड़ेपन के शिकार हैं।

बिहार में औद्योगिक क्षेत्र

विभाजन के पश्चात् अधिकत्तर खनिज, वन सम्पदा एवं भारी उद्योग आदि को नये राज्य झारखण्ड में चले जाने के फलस्वरूप बिहार में मुख्यतः कृषि आधारित तथा लघु एवं कुटीर उद्योग ही बचे है। बिहार में उद्योगों की अवस्थिति भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है। 17 दिसम्बर 2023 को बिहार सरकार ने राज्य में तीन नये औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की हैं। ये औद्योगिक क्षेत्र गया, मुंगेर एवं नालंदा जिलों में स्थापित किया जायेगा। इस औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग की स्थापना की जायेगी, जिसमें भारी, मध्यम एवं लघु उद्योग शामिल हैं। इसके लिए बियाडा द्वारा गया में 1670 एकड़, मुंगेर में 1200 एकड़ एवं नालंदा में 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा। इन औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ अर्थ

व्यवस्था को भी बढावा मिलेगा। बिहार में विकसित उद्योगों के संकेन्द्रण के आधार पर 08 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जो निम्न हैं: -

1. उत्तर-पश्चिम बिहार का चीनी औद्योगिक क्षेत्र - चीनी उद्योग बिहार का प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है, इस उद्योग हेतु समस्त अनुकूल दशाएॅ यथा - जलोढ़ मिट्टी, सस्ते श्रमिक, समतल भूमि मौजूद होने से राज्य का यह हिस्सा प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। बागमती नदी से पश्चिम तथा गंगा नदी के उत्तर स्थित इस क्षेत्र में राज्य में स्थापित 29 चीनी मिलों में 21 चीनी मिले स्थित हैं। इस क्षेत्र के अन्तर्गत पश्चिम एवं पूर्वी चम्पारण, सारण, गोपालगंज, सितामढ़ी इत्यादि जिले आते है। वर्त्तमान में कार्यरत 10 चीनी मिले (बगहॉ, रामनगर, नरकटियागंज, मझौलियॉ, मोतीहारी, गोपालगंज, सिधवलियॉ, रीगा, हसनपुर में से हसनपुर को छोड़कर सभी इसी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावे यहॉ अन्य लघु एवं कुटीर उद्योग भी स्थापित है।

2. दक्षिण-पूर्व बिहार का औद्योगिक क्षेत्र - यह गंगा नदी के किनारे तटबंध पर स्थित पूर्वी औद्योगिक प्रदेश है। इसका विस्तार मुंगेर जमालपुर से लेकर कहलगॉव तक है। मुंगेर में बन्दुक एवं सिगरेट का कारखाना, जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप, नाथनगर तथा भागलपुर में रेशम का कारखाना, कहलगॉव में ताप विद्युत केन्द्र स्थित है। इसके अलावा इस क्षेत्र में बिड़ी बनाने के कारखाने, चावल मिले, ऑटा चक्की, दाल मिलें, कागज एवं चमड़ा उद्योग स्थापित है। अभयपुर एवं दशरथपुर में पत्थर तोड़ने का व्यवसाय है।

3. दक्षिण-पश्चिम बिहार का औद्योगिक क्षेत्र - यह क्षेत्र बिहार के गंगा नदी के किनारे स्थित है। जिसका विस्तार बक्सर से पटना तक है। इसका प्रधान केन्द्र पटना है। गंगा नदी पर महात्मा गॉधी सेतु बन जाने से इस क्षेत्र का संबंध उत्तर बिहार से हो गया है। इस प्रदेश के प्रमुख केन्द्रों में पटना, हाजीपुर, आरा, बक्सर, डुमराव आदि स्थित है। पटना एवं इसके आस-पास अनेक औद्योगिक केन्द्रों का विकास हुआ है एवं अनेक चावल मिलें स्थापित हुई हैं।

4. मोकामा-बरौनी औद्योगिक क्षेत्र - मोकामा से बरौनी तक फैला यह औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः बेगुसराय जिले में स्थित है। यहॉ का प्रमुख औद्योगिक केन्द्र बरौनी तथा मोकामा हैं। हाथीदह के पास गंगा नदी पर बने राजेन्द्र सेतु ने इस क्षेत्र को उत्तर एवं दक्षिण बिहार से जोड़ दिया है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना, उर्वरक कारखाना, ताप विद्युत

केन्द्र एवं दूग्ध उद्योग तथा मोकामा में चमड़ा उद्योग, रसायन उद्योग, रेल डब्बा कारखाना एवं लोहे की छड़ तथा चादर बनाने का उद्योग स्थित है।

5. सोनघाटी औद्योगिक क्षेत्र - इस क्षेत्र का विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में सोन नदी के तटीय क्षेत्र में स्थित है। इसका विस्तार जपला से डालमियॉ नगर तक है। इसके पश्चिम में कैमूर पठार स्थित है। जहॉ सल्फर, डोलोमाईट एवं चूना पत्थर आधारित कई उद्योग स्थित है। डालमियॉ नगर बंजारी एवं कर्मनाशा में सिमेन्ट कारखाना, वन सामग्री तथा चावल के कई कारखाने भी स्थित हैं।

6. गया-गुरारू औद्योगिक क्षेत्र - यह अपेक्षाकृत छोटा औद्योगिक क्षेत्र है, जिसका प्रमुख केन्द्र गया और गुरारू है। इस क्षेत्र में जूट, सूती वस्त्र, हस्तकरघा, तिलकुट, पत्थर तोड़ने एवं कलात्मक मूर्तियॉ बनाने का उद्योग, पर्यटन तथा होटल उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। गया का मानपुर मोहल्ला सूती वस्त्र के लिए देश में प्रसिद्ध है। गुरारू में चीनी का कारखाना भी है। बोधगया, गया एवं जहानाबाद प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है।

7. पूर्वी बिहार का जूट औद्योगिक क्षेत्र - यह क्षेत्र बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। जिसमें पुर्णिया, कटीहार, किशनगंज एवं अररिया जिले आते हैं। उर्ष्णाद्र जलवायू वाले इस औद्योगिक क्षेत्र में जूट उत्पादन की अनुकूल दशायें मौजूद है। पुर्णिया में राष्ट्रीय जूट कारखाना भी स्थित है। इसके आलावा इस औद्योगिक क्षेत्र में इथेनॉल कारखाना, रेशमी वस्त्र एवं अन्य कृषि आधारित उद्योग स्थित है।

8. उत्तरी चावल मिल का क्षेत्र - बिहार के उत्तरी भाग में नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में चावल के गहन खेती होने से चावल कुटने की अनेक छोटी बड़ी मिलें स्थापित है। इसका विस्तार पश्चिम में रामनगर से लेकर पूर्व में किशनगंज तक है। इस क्षेत्र के प्रमुख केन्द्रों में रामनगर, नरकटियागंज, रक्सौल, आदापुर, बैरगनिया, सितामढी, जयनगर, झंझारपुर, जोगबनी, फारबीसगंज एवं किशनगंज आदि है। हालांकि सघन आबादी के कारण इस क्षेत्र में उत्पादित चावल का स्थानीय खपत हो जाता है।

बिहार की औद्योगिक नीति -

औद्योगिक नीतियॉ किसी राज्य या देश में औद्योगिक विकास की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढॉचें का निर्माण करती है एवं औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा प्रदान करती है। इसमें औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण एवं उद्देश्यों का विस्तृत उल्लेख रहता है।

औद्योगिक नीति 2003 -

उद्योग वर्त्तमान में विकास का प्रमुख माध्यम है जो राज्य औद्योगिक दृष्टि से जितना उन्नत है उस राज्य की स्थिति उतनी ही उन्नत है। किन्तु वर्ष 2000 ई0 बिहार से झारखण्ड को अलग हो जाने के पश्चात् सभी भारी उद्योग एवं महत्वपूर्ण खनिज सम्पदा झारखण्ड राज्य में चला गया और बिहार औद्योगिक दृष्टि से भारत का पिछड़ा राज्य बन गया। इसी कमी को पूरा करने एवं औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से बिहार सरकार 2003 में ईरानी समिति के सिफारीश के आधार पर नई औद्योगिक नीति 2003 बनाया किन्तु समयानुसार यह विशेष फलदायी साबित नहीं हुआ तथा औद्योगिक विकास के राह में अनेक कठिनाईयॉ विद्यमान रही। इस नीति में व्यापक भ्रष्टाचार, सरकार की अकुशलता एवं कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण इसका यथोचित परिणाम नहीं मिल सका।

बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 -

औद्योगिक नीति 2003 के कठिनाईयों को दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 लागू किया गया। इसकी अवधि 2006 से 2011 तक थी। इस औद्योगिक नीति का मूल उद्देश्य कच्चे उत्पाद के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना और देशी एवं विदेशी निवेशको को आकर्षित करना था। इस नीति के तहत नये उद्योगो का स्थापना, बन्द पड़े उद्योगों का पूनरूद्धार और लघु एवं कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों से आगामी 07 वर्षो तक सभी प्रकार के कर से छूट दिया गया। लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर केन्द्रीय विक्रय कर 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया। बंद पड़े उद्योगो को कर्ज मुक्त करने के लिए बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा आकर्षक एक मुश्त जमा योजना लागू की गई थी। इन सभी प्रावधानों के अतिरिक्त इस नीति को सफल बनाने के लिए कई अन्य नीतियॉ भी बनाई गयी जैसे -

चीनी प्रोत्साहन नीति 2006, वैट सरलीकरण अधिनियम 2006, एकल विंडों अधिनियम 2006 इत्यादी। इस नीति का निवेशको पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बेहतर माहौल और विकास की सम्भावनाओं के फलस्वरूप बडे निवेशकों ने भी बिहार में निवेश करने की रूचि दिखाई और कई कारखाना भी स्थापित किया किन्तु प्राकृतिक आपदा, बिजली संकट, आधारभूत संरचना का अभाव आदि के कारण इस नीति का भी परिणाम फलदायी नहीं हो सका।

बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 -

बिहार में वैश्विक औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव के मद्देनजर एवं राज्य में आंतरिक एवं देश के बाहर से निवेश आकर्षित किये जाने के साथ-साथ बिहार में विद्यमान उद्योगों के पुनर्जीवन एवं विस्तारण के लिए समुचित माहौल एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 की समीक्षा की गई और इस नीति के बाधाओं को दूर करने तथा औद्योगिक विकास को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 लागू की गई। इसके अन्तर्गत उत्पादन के पूर्व स्टाम्प डयूटि एवं पंजीकरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट, औद्योगिक इकाईयों को पूंजीगत अनुदान, वैट की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की राशि में प्रवेश कर को सम्मिलित किया जाना, कार्यरत होटलों को लग्जरी टैक्स की प्रतिपूर्ति, डीजल जनरेटिंग सेट पर विद्यमान इकाईयों को भी प्रोत्साहन एवं गैर परंपरागत स्त्रोतों से ऊर्जा उत्पादन पर अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन बनाने पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति, तकनीकी जानकारी शुल्क आदि पर अनुदान सहित कई प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया था। साथ ही 500 करोड़ की अधिक पूंजी निवेश पर अधिकतम 30 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान था। इस अवधि में खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, पर्यटन आधारित उद्योग एवं ऊर्जा/गैर पारंपरिक ऊर्जा उद्योगों में काफी वृद्धि हुई है। बिहार के औद्योगिक विकास में इस नीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016-

बिहार में निवेश के माहौल में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की औद्योगिक विकास दर को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई। जिसके लिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के साथ-साथ सकल राज्य घरेलू अनुपात में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान

बढ़ाना जरूरी हो गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 लागू की गई। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी हैं। इस नीति का ध्यान पर्याप्त अधिसंरचना के विकास, प्रतिस्पर्धी लाभ के साथ कोर क्षेत्रों की प्राथमिकता देने, उन्नत प्रौधोगिकी और कौशल विकास को बढ़ावा देना, सहायता/प्रोत्साहन का व्यापक एवं प्रतिस्पर्धी ढंग से निर्मित पैकेज उपलब्ध कराने और संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने आदि पर था। इस औद्योगिक नीति के तहत 5 वर्षो की अवधि में सक्षमकारी अधिसंरचना निर्माण के लिए नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, समेकित विनिर्माण संकुलों को प्रोत्साहन, गैस पाईप लाईन नेटवर्क की स्थापना, बिजली की गुणवतापूर्ण एवं विश्वसनीय आपूर्ति में वृद्धि, औद्योगिक भूमि की उपलब्धता बढाने के लिए निजी भागेदारी और निजी औद्योगिक पार्को का प्रोत्साहन आदि को शामील किया गया है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) 2022-

मुख्यमंत्री श्री नितिश कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 26 मई 2022 को राज्य मंत्री मण्डल की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) 2022 को लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के तहत वस्त्र, पोशाक, चमड़ा, रेशम विद्युत चरखा, सभी तरह के जूते तथा संबंद्ध उद्योगों को समग्र प्रक्षेत्रीय विकास को प्राप्त करना तथा निवेश सुविधा सेवा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस नीति के लक्ष्यों में सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को प्रोत्साहित करना, रेशा से लेकर पहनावा तक सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला का सृजन, वैसे कुशल एवं अर्धकुशल कामगार जो काम के लिए दूसरे राज्यों में गये हैं उनके लिए बिहार में ही अवसर सृजित करना आदि है। इसके केन्द्रबिन्दु पराम्परिक हस्तकरघा, खादी, होजीयारी उत्पाद, परिधान निर्माण, सभी प्रकार के जूते एवं सभी जिलों के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना आदि है। इस नीति के सूत्रबद्ध होने के बाद से निवेशक धीरे-धीरे बिहार को विनिर्माण एवं सेवा इकाईयों में निवेश के लिए सम्भावित गंतव्य के रूप में पसंद करने लगे हैं। अप्रैल 2017 से 2021 तक बिहार सरकार को 60,000 करोड़ रूपयें से अधिक निवेश के 2000 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

औद्योगिक विकास से संबंधित अन्य नीतियॉ-

इन सभी प्रावधानों के अतिरिक्त इस नीति को सफल बनाने हेतु उद्योग से संबंधित अन्य नीतियॉ जैसे - बिहार स्टॉट अप नीति 2017, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, राजकीय सार्वजनिक उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम नीति 2020, विशेष भूमि आवंटन एवं आम माफ नीति, 2020, आक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 एवं इथेनाल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 आदि बनाई गयी है एवं पर्यटन उद्योग को भी बढावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा भी समय-समय पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 2016, स्टैण्ड अप योजना 2016 एवं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 आदि योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

औद्योगिक विकास को बढावा देने वाले संस्थान-

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ठप।क।) - बिहार में औद्योगिक विकास को बढावा देने और राज्य के औद्योगिक नीति के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ राज्य में उद्योगो के निरंतर विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 1974 ई0 में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। वर्त्तमान में इसके द्वारा कुल 09 कलस्टर पटना, बेगुसराय, हाजिपूर, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, भागलपुर, पूर्णियॉ एवं सहरसा, दरभंगा तथा गया एवं बिहटा में संचालित किये जा रहे हैं। बिहार में औद्योगिकरण के लिए जमीन अधिग्रहण करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार ने बियाडा को अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत समेकित विनिर्माण संकुलों की स्थापना के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम के गठन हेतु नोडल अभिकरण नामित किया है।

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम-

राज्य में सार्वजनिक एवं निजी दोनो औद्योगिक कम्पनियों के संतुलित एवं एकीकृत विकास करने के उद्देश्य से 1960 ई0 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्त्तमान में यह बिहार में खनन एवं अन्य संबंधित औद्योगिक गतिविधियॉ सहित सभी प्रकार के औद्योगिक कम्पनियों को बढ़ावा दे रहा है।

बिहार राज्य वित्त निगम -

इसकी स्थापना राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत वर्ष 1954 में की गई थी। यह एक राज्य स्तरीय विकास वितीय संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में लघु एवं मध्यम स्तर के औद्योगिक इकाईयों को पंूजिगत सहायता प्रदान करना है। इसकी वर्त्तमान अधिकृत पंूजी लगभग 100 करोड़ रूपये एवं चुकता शेयर लगभग 80 करोड़ रूपया है।

जिला उद्योग केन्द्र-

जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना विभिन्न जिलों में उद्योगों विशेषकर अतिलघु, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों की स्थापना में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। बिहार में कुल 38 जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत हैं। वर्त्तमान में जिला उद्योग केन्द्र प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं मुख्य मंत्री लघु उद्यमी योजना आदि की प्रगति में सहयोगी अभिकरण की भूमिका निभा रहे है।

सहकारी समितियॉ-

बिहार एवं भारत दोनो के ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी बढाने में दूग्ध उत्पादन विकास और दूग्ध सहकारी समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जल्दी खराब होने के प्रवृति के कारण दूग्ध का व्यापार चुनौतिपूर्ण कार्य हैं। इस चुनौति को कम करने के लिए बिहार राज्य दूग्ध उत्पादक महासंघ लि0 (काम्फेड) शीत श्रृंखला संधारित करने की प्रणाली स्थापित करने के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक दूग्ध खरीद कर प्रसंस्करण करने के बाद शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित करने का अधिकाधिक प्रयास कर रहा है। अभी दूग्ध की खरीद उसके प्रसंस्करण और दूग्ध के वितरण के लिए बिहार एवं झारखण्ड में 12 इकाईयॉ काम कर रही है।

उद्योग मित्र -

बिहार सरकार से उद्योग विभाग के तहत स्थानीय उद्यमियों को सहायता करने, संभावित निवेशको को प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराने तथाा नई इकाईयों की स्थापना में आनेवाली विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के साथ-साथ आवश्यक विभिन्न अनापत्तियॉ प्राप्त करने में उनकी मदद करने के लिए उद्योग मित्र नामक निकाय का

गठन किया है। उद्योग मित्र जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से संचालित किये जा रहे है। वर्त्तमान में उद्योग मित्र संगोष्ठीयों एवं सम्मेलनों का निश्चित रूप से आयोजन कर निवेशको को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग-

बिहार में लगभग 70 खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाए क्रियाशील है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 ई0 में हुई थी। इसके ऊपर खादी उत्पादक इकाईयों समेत ग्रामीण उद्योग को बढावा देने की जिम्मेदारी है। आयोग राज्य स्तर पर अपने केन्द्रीय निदेशालय और खादी एवं ग्राम उद्योग के जरिये काम करता है। इसकी प्रोत्साहन - मूलक गतिविधीयों में नऐ कौशलों का विकास, प्रौधौगिकी हस्तांतरण, शोध एवं विकास शामिल है। आयोग राज्य स्तर इकाईयों को अपने उत्पादों के विपणन में अपनी राष्ट्रीय बाजार नीति और विज्ञापन के जरिये सहयोग देता है।

चुनौतियाँ एवं संभावनाएं-

बिहार में प्रचुर जल संसाधन, उर्वर मिट्टी का कृषि प्रधान क्षेत्र जो अनेक उद्योगो के लिए कच्चा माल (गन्ना, जूट, तम्बाकु, चावल, गेहुॅ, दलहन, तिलहन, मौसमी फल आदि) उपलब्ध करा सकता है, ये सभी मौजूद है। ताप विद्युत एवं जल विद्युत की विशाल संभावना, सस्ता श्रम, नेपाल एवं पड़ोसी राज्यों का बाजार, फलों, सब्जियों पर आधारित खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग, दक्षिण पठार से प्राप्त चूना-पत्थर, बाक्साइट, पायराइट जैसे खनिज से निर्माण उद्योग, इथेनाल उत्पादन, लघु एवं कुटीर उद्योगों, सूचना प्रौधोगिकी उद्योग एवं विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों के कारण पर्यटन उद्योग की संभावनाएॅ के बावजूद बिहार में औद्योगिक विकास की गति काफी धीमि है। बिहार में औद्योगिक विकास के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में राज्य में उपभोक्ता क्षेत्र का विकास नहीं होना, भारी एवं आधारभूत उद्योगों का नगण्य प्रभाव आदि के अधिक्षमता के माध्यम से विकास का अभाव, अपर्याप्त बिजली आपूर्ति, उद्यमियों का अभाव, मशीनों एवं तकनीकों के आधुनिकीकरण का अभाव, औद्योगिक वित्त का अभाव एवं कमजोर भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना का अभाव आदि है। इसके अतिरिक्त शाख जमा अनुपात का निम्न होना, शेयर बाजार के प्रति उदासिनता, विधि-व्यवस्था एवं गत्यात्मक दृष्टिकोण वाली प्रशासन व्यवस्था का अभाव तथा अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी एवं गैर

आर्थिक बाधक तत्वों का दबाव एवं कुछ वर्षो पूर्व तक स्पष्ट औद्योगिक नीति का अभाव आदि भी बिहार के औद्योगिक पिछड़ापन के समक्ष प्रमुख चुनौतियॉ हैं। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक नीतियॉ, योजनाएॅ एवं समर्पित संस्थान स्थापित किए गए हैं। परन्तु वर्तमान में बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के समक्ष ज्यादा चुनौति और कम अवसर दिखाई दे रहा है। हालॉकि बिहार में प्रचुर भूमिगत जल एवं सतही जल संसाधन, मैदानी भागों में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता, उर्वर मिट्टी का कृषि प्रधान क्षेत्र, अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल देने वाला गन्ना, जूट, तम्बाकु तथा अनेकों मौसमी फल, दक्षिण संकीर्ण पठारी भागों में सीमित मात्रा में खनीज पदार्थ मिलते है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से जल विद्युत तथा ताप विद्युत केन्द्रों से ताप विद्युत का उत्पादन होता है। यातायात एवं संचार की सुविधा - रेल, सड़क, जलमार्ग के अतिरिक्त, टेलिफोन, टेलक्स, इंटरनेट आदि संचार साधनों की भी सुविधा है। कई ऐतिहासिक / सांस्कृतिक केन्द्र - नालंदा पावापुरी, राजगीर, वैशाली, बोधगया आदि क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा होटल, परिवहन सुविधाओं का विस्तार एवं विधि व्यवस्था को उन्नत बना कर पर्यटन उद्योग का विकास किया जा सकता है। कृषि आधारित उद्योग - गन्ना, आलू, धान, मक्का आदि कई फसलों के उत्पादन को बढ़ाकर पर्याप्त मात्रा में इथेनाल उत्पादित किया जा सकता है, जिसका उपयोग पेट्रोल में मिलाकर बायोफ्युल बनाने में होता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन में निर्धन राज्य होने के बावजूद बिहार में कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन उद्योग एवं नविकरणीय ऊर्जा के विकास की पर्याप्त संभावनाएॅ है।

निष्कर्ष एवं सुझाव -

अविभाजित बिहार में प्रचुर खनिज सम्पदा और प्राकृतिक संसाधन स्त्रोंतो की उपलब्धता होने के बावजूद इसका उपयोग औद्योगिक विकास के लिए समुचित रूप से नहीं हो पाया। विनिर्माण करने वाले अनेक प्रकार के उद्योगों को बढ़ानें में बिहार असफल रहा है। बिहार सरकार की शिथिलता, केन्द्र सरकार की उदासिनता, महालबोनिस माडल की त्रुटियॉ तथा उपभोक्ता उद्योग की स्थापना न होना बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण रहा है। हालॉकि सरकार विभाजन के बाद से ही लगातार औद्योगिक नीति

एवं अन्य माध्यमों से औद्योगिकरण बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आधारभूत संरचना का अभाव, लालफीताशाही, बडे पैमाने पर भ्रष्टाचार, रेपटेप एवं शक्तिशाली अपराधियों द्वारा जबरन वसुली की मांग से राज्य में कौशल, पूंजी का निकासी होती रही, पूंजी और निवेश की कमी, उच्च प्रवास एवं कम शहरीकरण, निम्न स्तर का सामाजिक आर्थिक विकास, प्राकृतिक आपदा, सरकार की अकुशलता एवं कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण औद्योगिक विकास में इसका योगदान असंतोषजनक है। बिहार में सरकार द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खाद्य-प्रसंसकरण, पर्यटन, छोटी मशीन निर्माण, इलेक्ट्रीकल हार्डवेयर, कपड़ा, प्लास्टीक और रबर उद्योग, राज्य के प्राकृृतिक संसाधनों को उनकी पूरी क्षमता से उपयोग, नये व्यवसाय का निर्माण आदि को रखा गया है। इसे तैयार करते समय व्यापार संघो, निवेशको और विषय-वस्तु विशेषज्ञों जैसे उद्योग जगत की चिन्ताओं पर विचार करने का प्रयास किया गया है।

बिहार में औद्योगिक विकास की अनेक संभावनाएॅ हैं। इसके लिए बिहार सरकार को कुछ ठोस प्रयास जैसे - चीनी मिलों को पुनः स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, राज्य में आधारभूत ढांचा एवं पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, राज्य से बाहर काम करने वाले कामगारों का डाटा बेस तैयार कर योग्यता के अनुसार राज्य में ही काम की व्यवस्था करना एवं नये उद्योगों की स्थापना में आने वाली समस्याएँ को चिन्हित कर समयबद्ध तरीके से इसका समाधान करने की आवश्यकता है। सामाजिक, आर्थिक संरचना के साथ-साथ शांति व्यवस्था, सम्पति एवं जन-जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य की भूमिका अहम होनी चाहिए तभी निजी क्षेत्र से निवेश की गुंजाइश होगी। साथ ही बिहार के व्यवसायिक बैंको तथा अन्य विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं को पूंजी उपलब्ध कराने में सकारात्मक भूमिका अदा करने की जरूरत है न की उनके प्रति असुरक्षा प्रेरित दृष्टिकोण की। इसमें बदलाव लाये बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र के तीव्र विकास के द्वारा ही बिहार की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा पलायन एवं गरीबी दूर करने में सहायता मिलेगी। यदि बिहार को खुशहाल बनाना है तो एकजुट होकर सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करना होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूचि:-

1. बिहार सरकार (2023), आर्थिक समीक्षा 2022-23, वित्त मंत्रालय, पटना।

2. बिहार सरकार (2022), बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) 2022, उद्योग विभाग, पटना।

3. परवीन, साजदा (2023), विभाजन के पश्चात् बिहार में औद्योगिक पिछडापन की समस्या एवं इसका निदान, श्रत्भ्ैैए श्रवनतदंसए टवसनउम.11ए 2023

4. कुमार, डॉ0 संजय (2021), आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर बिहार, प्श्रत्ैै श्रवनतदंस टवसनउम.प्ग्ए श्रंदनंतल जव डंतबी 2022

5ण् कुमार, अजय (2019), मिथिलांचल में औद्योगिक विकास की वर्त्तमान स्थिति, प्श्रडम्त् श्रवनतदंस टवसनउम.प्टए छवअमउइमत 2019

6ण् अजेय, डॉ0 अमिना 2018 बिहार की औद्योगिक निवेश संवर्द्धन नीति के आलोक में राज्य में श्रमिकों की स्थिति, श्र।ैत्।म् श्रवनतदंस टवसनउम.प्ग्ए व्बजवइमत 2018

7ण् सिंह, रमेश (2021), भारतीय अर्थव्यवस्था, एमजीग्रे हिल्स एजुकेशन (इण्डिया) प्रा0 लि0, चेन्नई

8. वर्णवाल, महेश कुमार (2022), भारतीय अर्थव्यवस्था, कासमास पब्लिकेशन, दिल्ली

9. रोशन, राकेश कुमार (2021), भारतीय अर्थव्यवस्था, अरहिन्त पब्लिकेशन (इण्डिया) लि0, मेरठ, उ0प्र0

10. ीजजचेरूध्धनकलंउपण्इर्पीतण्हवअण्पदध्

11. ीजजचेरूध्धेजंजमण्इर्पीतण्हवअण्पदध्प्दकनेजतपमेध्ब्पजप्रमदभ्वउमण्ीजउस

12ण् ीजजचेरूध्धूूूणउनकतंण्वतहण्पद